प्रति—हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

न्यायिक प्रतिलिपि
मुकदमा नम्बर 12/23 आदेश
अनवान राधाकिशन
बनाम सुमेरसिंह



**न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नोखा, बीकानेर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग).

.................................................................................................

**प्रकरण संख्या - 12/2023**

राधाकिशन पुत्र भागीरथ बिश्नोई, उम्र 45 साल, निवासी मोहनपुरा टंकी के पास, नोखा, बीकानेर

**प्रार्थी**

**बनाम**

सूमेरसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत निवासी रोडा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी**

**उपस्थिति:-**
1. विद्वान अधिवक्ता श्री विनायक चितलंगी, प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नोई, अप्रार्थी/वादी की ओर से।

**- आदेश-** **दिनांक 06.03.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी पक्ष की ओर से एक वाद प्रतिवादी के विरूद्ध बाबत प्राप्त करने कब्जा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 15/02/2024 को पेश किया जिसमें यह वर्णित किया कि वादी के द्वारा जरिए विक्रय विलेख खरीद किया गया भूखण्ड खेत खसरा नंबर 3 वाके नोखा तादादी 1600 दरगज वार्ड नंबर 2, जोन नंबर 6 तहसील नोखा में होना बताया है जो वादी ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख मांगीलाल पुत्र मोहनलाल से खरीद कर कब्जा प्राप्त करना बताया। उक्त विक्रय विलेख उपपंजीयक नोखा में पंजीबद्ध है। जिसका शुद्धिपत्र भी पंजीबद्ध होना वर्णित है। कुल प्रतिफल राशि 90 हजार रूपये अदा करने का वर्णन है। उक्त भूमि खेतीहर भूमि है जिस पर प्रतिवादी का ही कब्जा है। भूमि खेती की ही भूमि है, जिसका रूपांतरण नहीं कराया गया है। भूमि आज तक कृषि भूमि है। ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार भूमि की किस्म राजस्व भूमि की है। ऐसे में दीवानी न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे में वादपत्र नामंजूर करने का निवेदन किया।

2. प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर जवाब बंद किया गया।

6.3.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी के तर्क है कि हस्तगत मामले में जो वादपत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस वादपत्र में ही वादी ने भूमि की किस्म राजस्व भूमि बताई तथा जो अनुतोष चाहा, वह स्थाई निषेधाज्ञा व कब्जा प्राप्ति का था जो अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व अनुसूची तीन के तहत राजस्व न्यायालय ही दिला सकता है। ऐसे मामलों में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता अपवर्जित है। ऐसे में उक्त वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नामंजूर किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निम्न सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः-

(1) जगदीश पुत्र छितरलाल बनाम दिनेश शर्मा एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 97/2022 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच आदेश दिनांक 05/09/2023 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के मामले में जहां भूखण्ड दस्तावेजों में कृषि भूमि हो, ऐसी भूमि को कृषि भूमि माना जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के तहत ऐसी भूमि से संबंधित मामलों का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत के मामले में यह भी तर्क न्यायालय के समक्ष दिया गया था कि भूमि का प्रयोग आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। आस पास की समस्त भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जा रही है। आस पास मकान बने हुए हैं, लेकिन इन समस्त तथ्यों के होने के उपरांत भी ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई कि जो प्रश्नगत भूमि है, वह आबादी भूमि में परिवर्तित कर दी गई हो या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के तहत आबादी के लिए सेट अपार्ट कर दी। ऐसे में जब भूमि की किस्म कृषि भूमि के लिए है, चाहे उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं भी हो रहा हो तो भी ऐसी भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को ना होकर राजस्व न्यायालय को है।

(2) 2018(4) डीएनजे राज 1442 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई वादपत्र विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने व कब्जा प्राप्ति के संबंध में कृषि भूमि से संबंधित हो तो ऐसे वादपत्र धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित था। ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हो।

(3) करणसिंह व अन्य बनाम शांति सिंह व अन्य एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 54/2015 आदेश दिनांक 09/05/2018 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां वादपत्र पर उपलब्ध तथ्यों से विवादित भूमि

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
6.3.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

कृषि भूमि हो व निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया हो तो ऐसे वादपत्र दीवानी न्यायालय के समक्ष धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

(4) सीताराम बनाम जगन्नाथ एसबी सिविल मिशलेनियस अपील नंबर 6136/2016 आदेश दिनांक 14/03/2019 बैंच जयपुर इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां प्रश्नगत भूमि पर कृषि की जा रही हो। कृषि भूमि, जिसमें फसल बोई हुई हो एवं ऐसी कृषि भूमि का प्रयोग भी कृषि कार्य के लिए हो रहा हो व ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो कि भूमि की किस्म आबादी में परिवर्तित हो गई हो। ऐसी भूमि से संबंधित मामले दीवानी न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकते।

(5) नवीन कुमार बनाम श्रीमती किरण देवी व संयोगिता उर्फ मोटी अंटी 23/11/2020 एसबी सिविल मिशलेनियस अपील नंबर 6/2019 आदेश दिनांक 23/11/2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रश्नगत भूमि यदि कृषि भूमि की किस्म की है व किस्म परिवर्तित नहीं हुई है तो भी भूमि से संबंधित वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दीवानी न्यायालयों को प्राप्त नहीं है।

(6) 2016(3) सीजे (सिविल) (राज) 1742 लालसिंह बनाम पन्नालाल एसबी सिविल मिशलेनियस अपील नंबर 1644/2012 आदेश दिनांक 22/08/2016 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक किसी भूमि को आबादी भूमि में समपरिवर्तित नहीं कराया जाता है तब तक वह भूमि कृषि भूमि ही बनी रहती है व असमपरिवर्तित कृषि भूमि के संबंध में वाद केवल राजस्व न्यायालय के समक्ष ही दायर होंगे। सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वर्जित होगी।

5. अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी के तर्क है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वादपत्र के तथ्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन व अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए तथा वादी ने अपने वादपत्र की पद संख्या 3 पेज नंबर 2 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि वादगत भूमि वर्तमान में आवासीय कॉलोनी के अंतर्गत आ गई है तथा नगरपालिका के मास्टर प्लान में उक्त भूमि आबादी भूमि क्षेत्र में आ गई है तथा आस पास की तमाम भूमि पर प्लाट काटकर मकान बनाने का काम हो चुका है। रिहायशी इलाका है। भूमि पर नगरपालिका का अस्तित्व आ चुका है जो वार्ड नंबर 2 में स्थित है जिसका जोन नंबर 6 बताया

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)
6.3.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

गया है। ऐसे में जब वादी ने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में आ चुकी है। नगरपालिका का अस्तित्व आ चुका है। ऐसे में उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही तथा पूर्व में भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किया गया व यह तय किया गया कि साक्ष्य लेखबद्ध होने के पश्चात इस संबंध में निर्धारण किया जाएगा। यह भी निवेदन किया कि पत्रावली बहस अंतिम में है। दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है। ऐसे में निस्तारण गुण अवगुण पर होना चाहिए। प्रार्थना पत्र केवल विलम्ब करने के आशय से पेश किया है। ऐसे में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए:-

(1) एआईआर 2003(एससी) 759 सिविल अपील नंबर 8518/2002 आदेश दिनांक 17/12/2002 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्धारित करते समय केवल वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए।

(2) एआईआर 2012 (एससी) 3023 सिविल अपील नंबर 5343/2012 आदेश दिनांक 20/07/2012 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को केवल वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर ही प्रस्तुत होना चाहिए। जवाबदावा में लिए गए अभिवाक असंगत है।

(3) 2012(2) डीएनजे (राज) 822 एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 499/2011 निर्णित दिनांक 12/04/2012 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार थे कि तहसीलदार के द्वारा एक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है और आवासीय प्रयोजन हेतु मास्टर प्लान में आरक्षित है। भूमि का हिस्सा चर्च स्थापित करने हेतु विक्रय किया गया। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय अधिक उपयुक्त तरीके से दीवानी अधिकारों को निर्णित कर सकता है। ऐसे में उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करना न्यायसंगत माना गया।

(4) 2007(2) डीएनजे (राज) 1150 सिविल रिवीजन नंबर 455/2006 निर्णय दिनांक 10/07/2007 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि आवेदक द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि वाद किस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तीसरी अनुसूची के किसी मद में आता है। ऐसे में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना उचित है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

6.3.24

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

अधिनियम की धारा 207 वाद की पोषणीयता वर्जित नहीं करती, केवल क्षेत्राधिकार का अपवर्जन करता है।

(5) 2014(2) सीसीसी 635 राज एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 196 ऑफ 2012 निर्णय दिनांक 07/01/2014 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी वादपत्र में यह विवाद हो कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है या आबादी भूमि तो ऐसा प्रश्न तथ्य का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात निर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे प्रश्न को प्रारम्भिक विवाद्यक बनाकर साक्ष्य ली जानी चाहिए।

(6) 2013(2) डीएनजे राज 552 एसबी सिविल रिट पीटीशन नंबर 353/2011 निर्णय दिनांक 22/02/2013 इस सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत में तथ्य इस प्रकार थे कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया कि न्यायालय को वाद के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है जबकि वादपत्र में ऐसा तथ्य उल्लेखित ही नहीं था कि प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है। ऐसे मामलों में विवाद्यक विरचित करने के पश्चात साक्ष्य अभिलिखित करके मामले को निर्णित किया जाना चाहिए।

7. अंत में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। उक्त तथ्य सही है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र की पृष्ठ संख्या 1 का अवलोकन करें तो उसमें यह वर्णित है कि "यह कि वादी के द्वारा जरिए विक्रय विलेख खरीद किया गया भूखण्ड जो भूमि खेत खसरा नंबर 3 वाके नोखा में तादादी 1600 दरगज वाके वार्ड नंबर 2 जोन नंबर 6 तहसील नोखा में स्थित है" इस प्रकार वादी ने अपने वादपत्र की मद सं 1 में भी यह वर्णित किया है कि प्रश्नगत भूमि खेत खसरा नंबर 3 की है अर्थात भूमि कृषि भूमि है चाहे वह कृषि भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए नहीं हो रहा हो , लेकिन भूमि की किस्म जब वादपत्र प्रस्तुत किया गया उस समय कृषि भूमि की थी। आबादी भूमि की नहीं थी। वादी पी.ड.1 राधाकिशन ने अपने मुख्यपरीक्षण में भी प्रदर्श.1 दस्तावेज मांगीलाल के खेत की पास बुक को प्रदर्शित करवाया। रजिस्ट्री प्रदर्श .3 व प्रदर्श.4 का अवलोकन करें तो उसमें भी खेत खसरा नंबर 3 का वर्णन है और स्पष्ट रूप से अंकित है कि कृषि भूमि का बैयनामा है। यद्यपि नगरपालिका नोखा में 8000 रूपये की रसीद कृषि भूमि के नियमन पेटे कटवाई गई, जो दिनांक 06/03/2013 को कटवाई गई, जबकि वादपत्र दिनांक

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

6.3.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

20/02/2013 को ही प्रस्तुत हो गया, लेकिन नगरपालिका द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी गई हो। अपने प्रतिपरीक्षण में भी पी.ड.1 ने कथन किया कि प्रदर्श.1 ए पासबुक में गेन कंवर बेवा उधमसिंह, रतनसिंह, मोहनसिंह, जगमालसिंह, विशाल कंवर, सुंदरी कंवर पिसरान उधमसिंह हिस्सा 5.4858 हैक्टेयर सूमेरसिंह पुत्र उधमसिंह हिस्सा 0.8446 हैक्टेयर जाति राजपूत मांगीलाल तिवाडी पुत्र मोहनलाल तिवाडी नोखा हिस्सा 0.0695 हैक्टेयर खातेदार दर्ज है। वादगत भूमि का नियमन वादी ने अपने नाम अपने कथन करने की दिनांक 06/07/2018 तक नहीं होना बताया। ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर आई है कि उक्त भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के तहत आबादी भूमि के लिए सेट अपार्ट कर दिया गया हो। यद्यपि वादी की ओर से वादपत्र की पृष्ठ संख्या 2, मद सं 3 में यह वर्णित किया गया कि उक्त भूमि पर वर्तमान में आवासीय कॉलोनी आ गई है तथा नोखा कस्बा में नगरपालिका के मास्टर प्लान में उक्त भूमि नगरपालिका के आबादी क्षेत्र में है और आस पास की तमाम भूमि पर प्लाट काटकर मकान बनाने का काम हो चुका है व रिहायशी इलाका है। इन समस्त तथ्यों के वर्णन के बावजूद वादपत्र की मद सं 1 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की किस्म कृषि भूमि की है तथा जो सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए उन सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत मामले के तथ्यों से भिन्न थे क्योंकि सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत 2012(2) डीएनजे (राज) 822 में तहसीलदार के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह दृशित था कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है। आवासीय प्रयोजन हेतु मास्टर प्लान में आरक्षित है जबकि हस्तगत मामले में तहसीलदार की ऐसी कोई रिपोर्ट वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई जिसमें यह वर्णित हो कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि की श्रेणी में आ गई हो। हस्तगत मामले में प्रश्नगत भूमि की किस्म विवादित भी नहीं है। जिसके लिए दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात ये तय करना पड़ा कि भूमि की किस्म क्या है क्योंकि वादपत्र की मद सं 1 में ही भूमि कृषि भूमि दर्शा रखी है एवं वादी स्वयं ने अपने मुख्य परीक्षण के वर्ष 2018 तक भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं होने का कथन किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से जो सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए उनसे प्राप्त मार्गदर्शन में यह स्पष्ट रूप से सुस्थापित है कि यदि भूमि का प्रयोग आवासीय प्रयोजन से किया जा रहा हो, लेकिन यदि उसकी किस्म परिवर्तित नहीं हुई हो व राजस्व रिकार्ड में भूमि, कृषि भूमि की श्रेणी में हो, ऐसे मामलों के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरांत प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण नामंजूर किए जाने योग्य है।

6.3.24

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा जिला – बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

## आदेश

9. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से नामंजूर किया जाता है।

6.3.24

**मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नोखा,**
**बीकानेर**

10. आदेश आज दिनांक 06/03/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

6.3.24

**मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नोखा,**
**बीकानेर**

**प्रमाणित प्रतिलिपि**

**मुख्य प्रतिलिपिकार**
**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं**
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**नोखा (बीकानेर)**